प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 01.09.2026

- **ऑपरेशन कन्विक्शन: जान से मारने की नीयत से गोली मारने के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी**
- **विवाह समारोह में डीजे पर नाचते समय पैर में गोली मारने के 01 आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹50 हजार अर्थदण्ड**

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सेल तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी मॉनीटरिंग सेल के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना सदर बाजार पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-43, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त रामू तिवारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवाह समारोह में डीजे पर नाचते समय युवक के पैर में मारी गोली, 07 साक्षियों की गवाही से अभियुक्त दोषसिद्ध

दिनांक 26.06.2011 को वादी लालाराम कश्यप पुत्र सीताराम कश्यप निवासी मोहल्ला हयातपुरा, रेलवे लाइन के पास, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि दिनांक 25.06.2011 को उनका पुत्र पिन्टू नीरज वर्मा की बहन की शादी में गया था। शादी समारोह में डीजे पर नाचते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पिन्टू के बायें पैर में गोली मार दी गई, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद पवन सक्सेना निवासी मोहल्ला बाबूजई एवं रमेश वर्मा निवासी हुसैनपुरा, थाना कोतवाली द्वारा घायल पिन्टू को मोटरसाइकिल से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान भौतिक एवं चिकित्सकीय साक्ष्यों का संकलन करते हुए कुल 07 गवाहों को परीक्षित कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त रामू तिवारी पुत्र अवधेश निवासी मोहल्ला हयातपुरा, रेलवे लाइन के पास, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस एवं अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी एवं निरन्तर पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामू तिवारी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण

रामू तिवारी पुत्र अवधेश, निवासी मोहल्ला हयातपुरा, रेलवे लाइन के पास, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0 987/2011, धारा 307 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर के प्रकरण में वादी द्वारा उसके पुत्र के पैर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस जांच में अभियुक्त रामू तिवारी पुत्र अवधेश, निवासी मोहल्ला हयातपुरा, रेलवे लाइन के पास, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश में आया। प्रकरण में थाना पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 07 साक्षियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामू तिवारी को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य एवं गंभीर अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को कानून के कठघरे तक पहुँचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन एवं मॉनीटरिंग सेल के समन्वय से साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अभियुक्तों को दोषसिद्ध एवं दण्डित कराया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने के साथ-साथ आमजन में सुरक्षा एवं न्याय के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत करना है।